सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1346/JH/12/2023-APCR Date : 08.10.2024

सेवा मे,

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला - रांची,
एस एस पी कार्यालय,
रांची, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: काँके थाने में पदस्थापित एसराजीव कुमार .आई ., संजय नायक, वीरेन्द्र कुमार मेहता, जितेन्द्र सिंह तथा अन्य सहयोगियों द्वारा प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार, जातिसूचक गाली गलोच एवं मारपीट करने के संबंध में श्री अतीत - कुमार का दिनांक07.07.2023 का अभ्यावेदन।

महोदया,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2024 को **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई/ की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री अतीत कुमार
ग्राम कदमा -,
पोस्ट कांके- थाना +
रांची, झारखण्ड -834006
atitk8831@gmail.com
Mobile No:7739340033

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं NCST/ATY-1346/JH/12/2023-APCR

श्री अतित कुमार, कदमा, रांची,झारखण्ड की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2024 को राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्ड में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

****

सुनवाई की तिथि : 28.08.2024 at 02:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : सूची संलग्न है

****

आयोग को प्राप्त फाइल सं. NCST/ATY-1346/JH/12/2023-APCR में श्री अतित कुमार, गांव कदमा थाना काँके जिला रांची की शिकायत है कि कांके थाना में पदस्थ एस. आई. श्री राजीव कुमार, श्री संजय नायक, श्री वीरेन्द्र मेहता, श्री जितेन्द्र सिंह तथा अन्य सहयोगियो के साथ शिकायत कर्ता के साथ मार-पीट, जातिसूचक गाली गलौज किया गया तथा किसी झूठे केस में फसाने की धमकी देते हुए धमका कर समझौता पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिया गया। शिकायतकर्ता केस की जांच कराके उचित विधसम्मत कार्रवाई करने की मांग कर रहें हैं।

2 आयोग ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची झारखंड को दिनांक 12/07/2023 को नोटिस भेजकर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी थी।

3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची की ओर से को आयोग में जवाब प्राप्त हुआ था जो संतोषप्रद प्रतीत नही हुआ।

4 इस सम्बंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची के साथ राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्डमें सुनवाई तय की गयी।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24657271 Toll Free: 1800117777

5 प्रकरण की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांचीव शिकायतकर्ता उपस्थित हुएजिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया की शिकायतकर्ता का उक्त थाने में कोई भी केस दर्ज नही है तथा वे कसी अन्य के मामले में थाने आये हुये थे और आक्रोशित हो गयें थे। व थाने के कर्मचारियों के साथ बहस हो गया था जिसे बादमे गणमान्य व्यक्तियों के बीचसुलहनामा किया जा चुका है।

6 मामले में शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया की उसके साथ अत्यंत ज्यादती की गयी व पिटाई की गयी जिससे वह अत्यंत दुखी व प्रताड़ित महसूस कर रहा है।

7 प्रकरण में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुषंशाए की गयी-:

- इस मामले में पुलिस विभाग द्वारा एक बार पुन जांच किया जाए।
- मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची सम्बन्धित थाने की दिनांक 04.07.2023 व् 05.07.2023 की थाना डायरी की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग को प्रेषित करे।
- मामले में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट 30 दिवस में आयोग में प्रेषित करे।

आशा लकड़ा
12/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1346/JH/12/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri Shubhashis Rasik Soren
Legal Consultant

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o the Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Shri Chandan Kumar Sinha, Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Petitioners

Shri Atit Kumar